श्रीमान स[COURT FEE stamp] ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण कमांक

R-2698-III/14

1– (क)– तेरसिया बेवा रामरुद्र ब्राम्हण,
(ख)– उमेश कुमार,
(ग)– चंन्द्रभूषण,
(घ)– सुन्दरलाल,
(ड़)– ज्ञानेन्द्र,
(च)– शालेन्द्र –– सभी के पिता रामरुद्र ब्राम्हण निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

2– छोटेलाल ब्राम्हण,
3– गजाधर प्रसाद,
4– रामकुमार,
5– शांती देवी,
6– सीता,
7– चुनकीवा, –– सभी के पिता स्व.रामसिया ब्राम्हण सभी निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.
8– राजकुमार पिता भारत प्रसाद पाण्डेय स्व.माता सुन्दरिया देवी निवासी ग्राम प्रतापपुर जिला सतना म.प्र.

..............**आवेदक गण/निगरानीकार**

बनाम

1– दिनेश प्रसाद तिवारी तनय श्री रामभजन ब्राम्हण निवासी ग्राम देवगांव थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

2– श्रीमती सुशीला पुत्री रामभजन ब्राम्हण व पत्नी श्री शिवनारायण मिश्र निवासी ग्राम सुकरजिमा थाना व तहसील सेमरिया जिला रीवा म.प्र.

3– श्रीमती जुन्नी पुत्री रामभजन एवं पत्नी श्री कृष्णचंन्द शुक्ला निवासी ग्राम कुसियरा तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना शासन म.प्र.

..............**गैर निगरानीकार/अनावेदक गण**

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय अपर कलेक्टर महोदय जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क्र. 613/अ 6/2004–05 आदेश दिनांक 28/6/14 एवं राजस्व प्रकरण कमांक 612/अ 6/2004–05 आदेश दिनांक 28/6/14 जिस आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिरमौर के अपील प्रकरण क्र.194/अ 6/94–95 अंतरिम आदेश दिनांक 3/1/97 व अंतिम आदेश दिनांक 23/10/97 को पारित कर नामांतरण पंजी कमांक 3 आदेश दिनांक

11/1/94 स्थित ग्राम भूमि सलैया व पंजी कमांक 9 आदेश दिनांक 11/10/75 व ग्राम देवगांव काल की पंजी क.9 आदेश दिनांक 5/2/1976 राजस्व निरीक्षक सर्किल सेमरिया जिला रीवा के द्वारा अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई है जो अपीलीय न्यायालय मे प्रकरण कमांक 316 अ 6/95–96 अंतरिम आदेश 3/1/97 व अंतिम आदेश 23/10/97 तथा अपीलीय प्रकरण कमांक 317 अ 6/95–96 अंतरिम आदेश दिनांक 3/1/97 व अंतिम आदेश 23/10/97 को चुनौती दी गई है जिनकी काउन्टर निगरानी मानकर माननीय न्यायालय मे आवेदक गण द्वारा एक ही निगरानी पेश की जा रही है।

.....

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (2) भू.रा.सं. 1959

निगरानी के आधार निम्नप्रकार हैं।

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय/निगरानी न्यायालय का आदेश दिनांक 28/6/14 पूर्णतः खिलाफ कानून एवं न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

2– यह कि उभयपक्षकारों के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय मे उन्ही भूमि नंबरान व उन्ही पक्षकारों के बीच आवेदक गण व अनावेदक गण एक दूसरे के विपरीत काउन्टर अपील पेश की थी।उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने के कारण दोनो पक्षों की अपीलें दिनांक 3/1/97 को अवधि के अंदर मानते हुए प्रकरण अंतिम निराकरण हेतु दिनांक 23/10/97 को निर्णित किया गया था जिन आदेशों से प्रभावित होकर दोनो पक्षकार निगरानी न्यायालय मे अपनी–अपनी निगरानी प्रकरण पेश किए थे जिनका निराकरण दिनांक 28/6/14 को कर दिया गया है तथा माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारों की निगरानी निरस्त कर दी गई है किन्तु निगरानी न्यायालय का आदेश दिनांक 28/6/14 पूर्णतः अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 23/10/97 का समर्थन करता है जिसकारण आवेदक गण उक्त निगरानी आदेश दुःखी होकर यह निगरानी पेश कर रहें है जो स्वीकार योग्य है।

3– यह कि प्रथम अपीलीय न्यायालय/एस.डी.ओ तहसील सिरमौर के यहां नामांतरण पंजी कमांक 3 पारित आदेश दिनांक 11/1/94 राजस्व निरीक्षक सेमरिया स्थिति ग्राम देवगांव कला के बावत अनावेदक गण द्वारा एक अपील अवधि बाधित पेश की गई थी जो दिनांक 3/1/97 को अंदरम्याद मानकर अंतिम तर्क हेतु नियति की गई जिसकी निगरानी आवेदक गण द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के यहां पेश की गई जो माननीय कलेक्टर महोदय के यहां निगरानी प्रकरण कमांक 612/अ 6/2004–05 आदेश दिनांक 28/6/14 के नाम से पंजीबद्ध है।इस अंतरिम आदेश दिनांक 3/1/97 के खिलाफ निगरानी पेश किए जाने एवं अनावेदक गण को सूचना जारी होने व मूल अभिलेख निगरानी न्यायालय मे शामिल हो जाने के बाद भी अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दौरान निगरानी अंतिम आदेश दिनांक 23/10/97 को पारित कर आवेदक गण को कपटपूर्वक भ्रम मे डालकर अवैध रुप से प्रकरण तहसील न्यायालय को रिमांण्ड किया गया जिस रिमाण्ड आदेश दिनांक 23/10/97 की भी निगरानी माननीय निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय के यहां आवेदक गण

XXXIX(a)-BR(H)-11

(54)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2698-III / 14** जिला–रीवा

तेरसिया ब्रा0 वगैरः / दिनेश प्रसाद तिवारी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 613 / अ–6 / 2004–05 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	